रजिस्ट्री सं० डीएल-33004/98 REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 152] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 1998/वैशाख 11, 1920
No. 152] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 1998/VAISAKHA 11, 1920

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 1998

सं० 18/98-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 234 (अ).—चूंकि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के दिनांक 5 मई, 1987 की अधिसूचना संख्या 196/87 सीमा शुल्क में 1 अप्रैल, 1988 से आरंभ होकर 29 मार्च 1992 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अवधि कहा गया है) सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त द्वारा इसकी बाबत यथा विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर, निर्माण की प्रक्रिया में जड़ावदार स्वर्ण आभूषण के मामले में तीन प्रतिशत से अनाधिक स्वर्ण की क्षति और हस्तनिर्मित अथवा मशीन निर्मित सादे स्वर्ण आभूषण के मामले में दो प्रतिशत से अनाधिक क्षति की अनुमति दी गई थी।

और चूंकि उक्त अवधि के दौरान निर्यात आयात नीति, 1988-91 में सादे स्वर्ण आभूषण के लिए दो प्रतिशत स्वर्ण के क्षति की अनुमति दी गई थी तथा उक्त नीति में जड़ावदार स्वर्ण आभूषण के मामले में यथा विनिर्दिष्ट मूल्यवर्द्धन के आधार पर तीन प्रतिशित से दस प्रतिशत की क्षति की अनुमति दी गई थी;

और चूंकि उन इकाइयों से शुल्क वसूल करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं जिन्होंने दिनांक 5 मई, 1987 की अधिसूचना संख्या 196/87 सीमा शुल्क के तहत अनुमेय प्रतिशत से अधिक स्वर्ण क्षति का लाभ लिया है;

और चूंकि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि शुल्क के उद्ग्रहण (तत्संबंधी उद्ग्रहण न होने सहित) के लिए सामान्यतया विद्यमान प्रथा के अनुसार रत्न और आभूषण इकाइयां घरेलू टैरिफ क्षेत्र मे निर्यात एवं आयात नीति, 1988-91 के अनुरूप उक्त अवधि के दौरान सादे स्वर्ण आभूषण के लिए दो प्रतिशत स्वर्ण क्षति तथा जड़ावदार स्वर्ण आभूषण के मामले में तीन प्रतिशत से दस प्रतिशत तक स्वर्ण क्षति का लाभ प्राप्त कर रही थी।

अत: अब केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) की धारा 28-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि 5 मई, 1987 की अधिसूचना संख्या 196/87 के अधीन अनुमेय प्रतिशत से अधिक लेकिन निर्यात और आयात नीति 1988-91 के अनुसार विनिर्दिष्ट मूल्यवर्द्धन के आधार पर सादे स्वर्ण आभूषण के मामले में दो प्रतिशत तथा जड़ावदार स्वर्ण आभूषण के मामले में तीन प्रतिशत से दस प्रतिशत तक से अनाधिक स्वर्ण क्षति होने पर यदि उक्त प्रथा प्रभावी न हो तो उक्त अवधि में उपर्युक्त स्वर्ण क्षति के मामले में देय सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

[फा. सं. 305/123/95-एफ. टी. टी.]

रंजना झा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 1998

(No.18/98 Customs)

G. S. R. 234 (E).—Whereas the notification No. 196/87-Customs, dated the 5th May, 1987 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue permitted loss of gold in the manufacturing process not exceeding three per cent in the case of studded gold jewellery and two per cent in the case of handicrafted or machine-made plain gold jewellery subject to the fulfilment of conditions specified by the Assistant Commissioner of Customs in this behalf during the period commencing on and from 1st April, 1988 and ending on 29th March, 1992 hereinafter referred to as the said period;

And whereas, during the said period the Export and Import Policy 1988-91 permitted loss of gold of two per cent for the plain gold jewellery and in the said policy, in case of studded gold jewellery, the wastage permitted was upto three per cent to ten per cent depending upon the value-addition achieved as specified therein.

And whereas, show cause notices for recovery of duty from the units who have availed of gold loss in excess of the permissible percentage under notification No. 196/87-Customs, dated the 5th May, 1987 had been issued.

And whereas, the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty (including non-levy thereof), the Gem and Jewellery Units, in the Domestic Tariff Area, were availing of the gold wastage of two per cent for plain gold jewellery and upto three per cent to ten per cent in case of studded gold jewellery as per the Export and Import Policy 1988-91 during the said period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Govcernment, hereby, directs that a whole of the duty of customs and additional duty of customs payable on the gold loss in excess of the percentage permitted under the notification No. 196/87 dated the 5th may, 1987 but not exceeding two per cent in case of plain gold jewellery and upto three per cent to ten per cent in case of studded gold jewellery depending upon the specified value-addition as per the Export and Import Policy, 1988-91 but for the said practice shall not be required to be paid in respect of the above said gold loss in the said period.

[F. No. 305/123/95-FTT]

RANJANA JHA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998